कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया।

पत्रांकः 4034 /14–1 दिनांकःऔरैयाःमई, 23 ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

विषयः– जनपद औरैया के अन्तर्गत तहसील औरैया के ग्राम अस्ता को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने के लिये दिये गये निर्देशों को अनुपालन हेतु वन विभाग की 3.943 हे0 आरक्षित वन भूमि के विनिमय के सम्बन्ध में गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक 508 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या 3639/81–2–2022–800(331) दिनांक 16.03.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, दिनांक 17.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र औरैया के भ्रमण के दौरान ग्राम वासियों की समस्यों के दृष्टगत मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सरकार द्वारा ग्राम वासियों को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन को यथा आवश्यक निर्देश दिये जो मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की घोषणाओं के अन्तर्गत आच्छादित है। ग्राम अस्ता के लोगों को वन विभाग के ऊँचे क्षेत्र में बसाये जाने से प्रभावित वन विभाग की वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि राजस्व विभाग द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। इस गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण का व्यय भार राजस्व विभाग, औरैया के व्यय पर वन विभाग द्वारा किया जायेगा। अर्थात् इस गैर वानिकी कार्यों को राजस्व विभाग प्रस्तावक के रूप में रहेगा। तथा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा निम्न बिन्दुओं पर इस वन प्रभाग से आख्या चाही गई है जिनको निराकरण कराकर आपकी सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

बिन्दु सं0	विवरण	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथासंशोधित वन (संरक्षण) रूल्स–2022 में विनिमय के आधार पर वनभूमि का गैरवानिकी प्रयोग की कोई व्यवस्था है ?	मा0 मुख्यमंत्री के औरैया भ्रमण दिनांक 09.08.2021 के दौरान जन प्रतिनिधियों की माँग पर बाढ़ग्रस्त ग्रामीणों को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने की घोषणा की गई।
2	प्रस्ताव में उल्लिखित है कि वन विभाग को राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के प्रभावित समतुल्य भूमि राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा ग्रामवासियों को बसने हेतु ऊँचाई पर क्यों नहीं भूमि उपलब्ध करायी जा रही है, क्या राजस्व विभाग के पास ऊँचाई वाले स्थान पर भूमि नहीं है ?	उक्त के क्रम में राजस्व विभाग की ओर से तहसील औरैया के ग्राम अस्ता को सनिकट ऊचे स्थान पर स्थित वनभूमि में स्थानान्तरित करने की सहमति दी गई जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार, औरैया ने अपने पत्र संख्या 137/रा0लि0/2023 दिनांक 18.05.2023 से इस कार्यालय को आख्या उपलब्ध करायी गई है।

3	उपलब्ध करायी गयी आख्या में त्रुटिवश विनिमय शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव में रक्षित सभी प्रमाण पत्रों को संशोधित क्यों नहीं किया गया है और यह भी स्पष्ट किया जाये कि त्रुटि किस स्तर पर हुई है ?	प्रश्नगत वनभूमि राजस्व विभाग, औरैया द्वारा गैरवानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तावित की गई हैं जो कि भ्रमण के दौरान मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन द्वारा की गई घोषणाओं से आच्छादित है।

संलग्नकः– तहसीलदार औरैया की पत्र संख्या 137 / रा0लि0 / 2023 दिनांक 18.05.2023 की छायाप्रति।

भवदीय,

(इम्तियाज अहमद सिद्धीकी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
औरैया वन प्रभाग, औरैया

पत्रांक– / समदिनांकित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय, औरैया की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अपर जिलाधिकारी, औरैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– उप जिलाधिकारी, औरैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रलिलिप– तहसीलदार, औरैया को सूचनार्थ प्रेषित।

(इम्तियाज अहमद सिद्धीकी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
औरैया वन प्रभाग, औरैया

E:\DFO2\DRAFTMEN\Letter 2014-15.doc

कार्यालय तहसीलदार औरैया।

पत्रांक 137 / रा0लि0 / 2023
दिनांक– 10 मई 2023

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग,
औरैया

विषय–मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 शासन द्वारा जनपद औरैया के अन्तर्गत तहसील औरैया के ग्राम अस्ता को ऊंचे स्थान पर बसाये जाने के लिये दिये गये निर्देशो के अनुपालन हेतु वन विभाग की 3.943 हे0 आरक्षित वन भूमि को गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 508 वृक्षो के पातन / ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध मे (प्रस्ताव FP/UP/REHAB/149021/2021)

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 3624 / 14–1 दिनांक औरैया अप्रैल 11, 2023 का संदर्भ ग्रहंण करने का कष्ट करे जिसमें उप सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 3693 / 81–2–2022–800 (331) 2022 दिनांक 16.03.2023 के बिन्दु सं0–2 पर आख्या चाही गई है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उप सचिव, उ0प्र0 शासन के उक्त पत्र दिनांक 16.03.2023 के बिन्दु सं0 02 पर आख्या निम्नवत है–

बिन्दु सं0	अपेक्षित पृच्छा	आख्या
02	प्रस्ताव में उल्लिखित है कि वन विभाग को राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के प्रभावित समतुल्य भूमि राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु यह स्पष्ट नही किया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा ग्रामवासियो को बसने हेतु ऊंचाई पर क्यो नही भूमि उपलब्ध करायी जा रही है, क्या राजस्व विभाग के पास ऊंचाई वाले स्थान पर भूमि नही है	राजस्व ग्राम अस्ता में ऊंचे स्थान पर ग्रामवासियो को बसाने हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त ग्राम सभा भूमि नही पायी गई थी। ग्रामवासियो को ऊंचे स्थान पर बसाने हेतु वन विभाग की 3.943 हे0 भूमि ही एकमात्र विकल्प के रूप में उपयुक्त पायी गई थी। ग्राम अस्ता में ही निम्नतलीय स्थित वन विभाग की भूमियो के मध्य ग्रामसभा की भूमि गाटा सं0 112मि, 251, 290 / 1, 236 / 1, 239 / 2, 240 / 9, 268, 70 / 5 उपलब्ध है जिसके दृष्टिगत ऊंचाई पर स्थित वन विभाग की भूमि गाटा सं0 37 / 1, 42मि को विनिमय करके ग्रामसभा भूमि दर्ज किये जाने एवं निम्नतलीय स्थित वन विभाग की भूमियो के मध्य स्थित ग्रामसभा भूमि गाटा

Scanned with CamScanner

	सं0112मि, 251, 290/1, 236/1, 239/2, 240/9, 268, 70/5 को वन विभाग के नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रस्ताव जनहित में तैयार कर प्रेषित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव शासन से स्वीकृत कराये जाने हेतु समुचित कार्यवाही कराने का कष्ट करे।

तहसीलदार/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
राजस्व विभाग, औरैया

प्रतिलिपि–
1. जिलाधिकारी महोदय औरैया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

तहसीलदार/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
राजस्व विभाग, औरैया

Scanned with CamScanner